मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2000 (आषाढ 27, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) संशोधन अध्यादेश, 2000 (क्रमांक 2 सन् 2000) पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री :-

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संबंधी पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998; तथा

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प क्रमांक एफ-9-12-90-4-एक-आसप्र, दिनांक 6-1-1992 की कंडिका (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश शासन मानव अधिकार आयोग का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल, 1993 से दिनांक 31 मार्च, 1994 तक) तथा रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन,
पटल पर रखेंगे.

4. फरवरी-मार्च, 2000 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2000 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अनूप मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम की पुस्तकें छात्रों को उपलब्ध न हो पाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अंतर सिंह दरबार, सदस्य, इंदौर जिले के ग्राम नाहरखेड़ी स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा प्रदूषित रसायन छोड़े जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 18 सन् 2000) का पुरःस्थापन करेंगे.

10. नियम 101 (2) के अधीन अध्यादेश के संबंध में विवरण पटल पर रखा जाना

श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, सभा के समक्ष लंबित मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 11 सन् 2000) के स्थान पर मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) संशोधन अध्यादेश, 2000 (क्रमांक 2 सन् 2000) के द्वारा विधान बनाये जाने के कारणों के संबंध में विवरण पटल पर रखेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 17 जुलाई, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.